प0सं0–15/डी0एल0ए0 खगड़िया (प्र0स0अ0कार्य)–08/2011–1882/रा0, पटना–15 दि0–24/07/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, दिनांक 200

एस0 ओ0 रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– मानसी, थाना नं0–275 परगना– फरकिया, थाना– .... जिला– खगड़िया मे सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात अंचल सह प्रखंड कार्यालय एवं परिसर निर्माण हेतु भूमि अर्जन प्रस्ताव के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के पूर्व पूर्वोक्त ग्राम – मानसी थाना नं0–275 के भीतर कमोवेष बीघा X कट्ठा X छटांक X धुर का, जो मानक माप से 2.50 एकड़ के बराबर होता है, एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसमें 2.50 एकड़ भूमि वास योग्य है। एवं X एकड़ बंजर भूमि है, जिसका खेसरा संख्या–1039, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 का अंश है।

इस भू–खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – राष्ट्रीय उच्च पथ 31 सर्वे खेसरा सं0– 1045, 1046, 1048, 1049, एवं 1050 का अंश है।
दक्षिण –सर्वे खेसरा सं0– 1039 का अंश तथा सर्वे खेसरा संख्या– 1042 सम्पूर्ण है।
पूरब – सर्वे खेसरा सं0– 1043, 1044 एवं 1045 का अंश है।
पश्चिम – सर्वे खेसरा सं0– 1050, एवं 1039 का अंश तथा 1053 सम्पूर्ण है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खनन की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना हो, ले लिये जायेगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1984 की धारा 6 तथा भूमि अर्जन (बिहार संशोधन अधिनियम 1960) बिहार अधिनियम 11, 1961 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भूमि–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया।	अपर समाहर्ता खगड़िया।	समाहर्ता खगड़िया।	सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 1882 / रा0, दिनांक – 24 – 07 – 13

प्रतिलिपि :– 1. तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमे एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संसकरण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले अंकन प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय खगड़िया को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 3. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव